फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री रतनलाल **बनाम** **विपक्षी :– संपतलाल**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का.अ. **पत्रावली संख्या : 37/22**

जीसीएमएस : 2022/118

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 14.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर एकतरफा बहस पूर्व पेशी पर सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्से अनुसार दर्ज है जो पूर्व में वाला पिता उदा के नाम दर्ज थी। वाला पिता उदा की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त भूमि में विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में भी सन् 2007 में न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि की घोषणा चाही गई थी। जिसमें उक्त आराजीयात सेहवन से अंकित नही होने से घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जिसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना में यह अंकित नही किया कि विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि कब अंकित हुई । ना ही ऐसा कोई साक्ष्य प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया जिससे यह प्रतीत होता हो कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण को मौके से बेदखल करने का प्रयास किया हो या प्रकरण में वर्णित भूमि का विक्रय किया हो। विपक्षी संख्या 1 हिस्से अनुसार सहखातेदार है तथा खातेदार के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में साबित होता है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदार को अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होते हैं। ऐसी स्थिति में विपक्षी खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:13:48 IST
Reason: SelfAttested